राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 70(2) ग्रावि/नरेगा/प्रशि./राज्य/2015–16 जयपुर, दिनांकः 2 SEP 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत मेट के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करने के संबंध में।

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा कार्यो पर श्रमिकों की उपस्थिति समय पर हो, उन्हें पूरे टास्क की जानकारी दी जाकर उनसे पूरा काम लिया जाए ताकि उन्हें पूरी मजदूरी मिल सके साथ ही उपयोगी परिसम्पतियों का निर्माण हो, जिससे गॉवों का विकास हो सके। इसी उद्देश्य से योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर कार्यो के प्रभावी कियान्वयन के लिए मेट को नियुक्त किया जाता है। इन मेटों के कौशल एवं क्षमता संवर्धन हेतु नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। इस उदेद्श्य से वर्ष 2015–16 में जिलों में कार्यरत मेट हेतु पंचायत समिति स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अगस्त माह में निम्नानुसार आयोजित किये जाने है।

- **प्रथमतः प्रत्येक ब्लॉक से दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन कर** इन ग्राम पंचायतों में चयन किये गये मेट, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत महिला मेट हो। इस हेतु राजीविका के महिला समूहों को भी शामिल करें। उन्हें 5–5 के समूह में कार्य करवाने, माप करने व कार्यस्थल के प्रबंधन, समूह मे भुगतान इत्यादि की व्यवस्था के बारे में सैद्धान्तिक व प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जावें। प्रशिक्षण उपरान्त इन मेटों को कार्यस्थल पर नियोजित कर, समूहवार किये गए कार्य की मात्रा, दर इत्यादि की समीक्षा नियमित की जाकर रिपोर्ट प्रेषित की जावें, अच्छा कार्य करने वाले मेटों को प्रोत्साहन हेतु प्रशंषा प्रमाण पत्र दिये जा सकते है।

- **प्रशिक्षण उपरान्त रिपोर्टः**– प्रशिक्षण उपरान्त रिपोर्ट निम्न प्रारूप में कार्यालय आयुक्त, ईजीएस को ई–मेल pdre_rdd@yahoo.com पर 3 दिन में आवश्यक रूप से (फोटोग्राफ सहित) भिजवाई जाना सुनिश्चित करें साथ ही प्रारूप में **महिला एवं पुरूष मेट की संख्या अलग–अलग अंकित किया जाना आवश्यक है।**

जिला ——————————

क्र. सं.	पंचायत समिति	कार्यरत मेट की संख्या			प्रशिक्षण में भाग लेने वाले मेट की संख्या			प्रशिक्षण के फोटोंग्राफ (हॉ/नहीं)
		महिला	पुरूष	योग	महिला	पुरूष	योग	

- **प्रशिक्षण व्ययः–** उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में से विभाग के पत्र क्रमांक एफ 70 (4) ग्रावि/नरेगा/प्रशि./ विविध/2010–11 दिनांक 21.04.2015 द्वारा जारी वित्तीय मापदण्ड अनुसार किया जावें।
- **यह स्पष्ट किया जाता है कि** उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूर्ण गम्भीरता से प्रभावी तरीके से करवाया जाए एवं सभी को यह संदेश दिया जाए कि भविष्य में कार्यस्थल पर सही व अपेक्षानुसार कार्य नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाऐगी।

आपसे अपेक्षा है कि अपने जिले के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं विकास अधिकारीगण को समुचित निर्देश देते हुए अपने कुशल मार्गदर्शन में उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाऐं एवं आयोजन की सूचना भिजवाना सुनिश्चित करवाऐं।

भवदीय

संलग्नः– कार्यक्रम व प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु।

11/5/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, जयपुर।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. जिला परियोजना प्रबंधक, राजीविका, समस्त राजस्थान।
6. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

(त्रिभुवनपति)
अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम), ईजीएस

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यरत मेट का पंचायत समिति स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम

(दिनांक ——————गुरूवार)

समय	विषय वस्तु	संदर्भ व्यक्ति
09.30 A.M से 10.00 A.M	• परिचय एवं पंजीयन	पं.सं. स्तर पर कार्यरत महात्मा गांधी नरेगा टीम
10.00 A.M. से 10.10 A.M.	• प्रशिक्षण का उद्देश्य	विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस
10.10 A.M से 10.30 A.M.	• मेट फिल्म का प्रदर्शन (दिनांक 03.07.2014 को आयोजित प्रशिक्षण के समय भिजवाई गई थी)	
10.30 A.M. से 01.30 Noon	• महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत अनुमत किये गये नए कार्य (संशोधित अनुसूची–1 दि. 03.01.14) • मेट के दायित्व • महिला मेट का अधिकाधिक चयन • श्रमिकों की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित कराना • अकुशल श्रमिकों का टास्क, लीड एवं लिफ्ट सहित • कार्यस्थल समूहवार काम का वितरण (Daily Task Assignment in groups) • मस्टररोल के विभिन्न भागों की पूर्ति • स्थाई व उपयोगी परिसम्पतियों का सृजन (Creation of useful durable assets)	सहायक अभियंता, ईजीएस एवं कनिष्ठ अभियंता, ईजीएस डीपीएम / बीपीएम, राजीविका
01.30 P.M. से 02.30 P.M.	लन्च	
02.30 P.M से 06.00 P.M.	• क्षेत्र भ्रमण – प्रायोगिक कार्य वास्तविक रूप से किए जाने वाले कार्य, समूह माप, मजदूरी गणना इत्यादि की जानकारी देना।	क्षेत्रीय भ्रमण कार्यक्रम सहायक अभियंता, ईजीएस एवं कनिष्ठ अभियंता, ईजीएस के नेतृत्व में किया जाना है।

प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु

1. श्रमिकों की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित कराना

2. कार्यस्थल समूहवार काम का वितरण (Daily Task Assignment in groups)

- i. श्रमिकों का 5–5 के समूहों में नियोजन।
- ii. SOR की जानकारी।
- iii. समूहवार नाप पर निशान लगाकर कार्य आवंटित करवाना।
- iv. श्रमिकों द्वारा निर्धारित टास्क के अनुसार मौके पर कार्य सम्पादन।
- v. मस्टररोल के पीछे दैनिक टास्क का प्रतिदिन सही नाप मेट द्वारा अंकित करना।
- vi. कार्य समाप्त होने पर कार्य के नाप के आधार पर मेट द्वारा मजदूरों को प्रतिदिन अर्जित मजदूरी से अवगत कराना।

3. स्थाई व उपयोगी परिसम्पतियों का सृजन (Creation of useful durable assets)

- i. मौके पर कार्य स्थल पुस्तिका, मानचित्र, एलीवेशन, सैक्शन आदि की उपलब्धता।
- ii. मौके पर संपादित कार्य नक्शें के अनुसार व्यवस्थित रूप से करना।
- iii. कार्य से स्थाई एवं जनउपयोगी सम्पति का सृजन।

4. कार्यस्थल पर सुविधाएं (Work site facilities)

- i. कार्य विवरण डिस्पले बोर्ड ।
- ii. आवश्यक दवाईयां।
- iii. पेयजल उपलब्धता ।
- iv. छाया की व्यवस्था।

5. मजदूरी भुगतान (Timely and differential wage payment)

- i. मजदूरी का नियमित रूप से (15 दिन में) भुगतान ।
- ii. ग्रुप टास्क के आधार पर अलग–अलग मजदूरी का भुगतान ।